<u>प्रसूति सहायता योजना</u>

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार, परिधि और लागू होना–** यह योजना राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार प्रसूति सहायता योजना 2011 कहलाएगी.

1.2 यह योजना सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में प्रभावशील होगी.

1.3 यह योजना भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार(नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 22(1) (छ) सहपठित नियम, 2009 के नियम 57 व 58 के अंतर्गत मण्डल द्वारा अधिसूचना की तिथि से लागू होगी.

1.4 यह योजना उन भवन और अन्य निर्माण महिला कर्मकारों पर प्रभावशील होगी जो अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत हिताधिकारी पंजीबद्ध हों एवं अधिनियम की धारा 13 के अनुसार हिताधिकारी परिचय पत्रधारी हों।

2. **परिभाषाएं–** इस योजना में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो–

2.1 ''अधिनियम'' का आशय ''भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार(नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियमय, 1996 (1996 का 27)'' से अभिप्रेत है.

2.2 ''नियम 2009'' नियम 2009 का आशय ''राजस्थान भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार(नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2009 से अभिप्रेत है।

2.3 ''मण्डल'' का आशय अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन गठित राजथान भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल से अभिप्रेत है।

2.4 ''सचिव'' से आशय अधिनियम की धारा 19 के अधीन नियुक्त मण्डल के सचिव से अभिप्रेत है।

2.5 ''हितग्राही श्रमिक'' अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत पंजीबद्ध एवं धारा 13 के अंतर्गत परिचय पत्रधारी महिला श्रमिक प्रसूति लाभ के लिए हितग्राही महिला श्रमिक होगी।

2.6 ''परिभाषित न किए गए शब्दों का विवेचन'' उन शब्दों या पदों के सम्बन्ध में जो इन योजनाओं में परिभाषित नहीं किए गए हैं, किन्तु अधिनियम/नियम, 2009 में परिभाषित या प्रयुक्त है, वही अर्थ होगा जो अधिनियम/नियम, 2009 में परिभाषित है।

3. **योजना का विवरण–**

3.1 प्रस्तावना– महिला निर्माण श्रमिक जो धारा 13 के अंतर्गत हिताधिकारी परिचय पत्रधारी है, को अधिनियम की धारा 22(1) (छः) सहपठित नियम, 2002 के नियम 57 व 58 के अंतर्गत संस्थागत प्रसूति की स्थिति में सहायता प्रदान करने के लिए यह योजना प्रभावशील होगी। **(अधिसूचना दिनांक 21.09.2015 द्वारा संशोधित)।**

3.2 **पात्रता–**

3.2.1 महिला श्रमिक अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत हिताधिकारी परिचय पत्रधारी हो।

3.2.2 प्रसव के समय महिला हिताधिकारी की आयु 20 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

3.2.3 प्रसूति हितलाभ अधिकतम दो बार के प्रसव हेतु ही देय होगा। पंजीयन से पूर्व दो या अधिक संतान होने की स्थिति में सहायता देय नहीं होगी तथा पंजीयन से पूर्व एक संतान होने पर एक ही प्रसव पर सहायता देय होगी। **(अधिसूचना दिनांक 21.09.2015 द्वारा संशोधित)।**

3.2.4 ऐसे निर्माण कर्मकार हिताधिकारी जो मण्डल की निधि में मासिक अभिदाय जमा करने की चूक (डिफाल्ट) करते हैं, उन्हें प्रसूति सहायता योजना के लाभ की पात्रता नहीं होगी।

3.2.5 पुनः मासिक अदायगी न करने की चूक का नियमानुसार पुनर्भरण करने पर निर्माण हिताधिकारी कर्मकार प्रसूति सहायता योजना के लाभ की पात्र होगी।

3.2.6 योजना के अन्तर्गत प्रसूति हितलाभ संस्थागत प्रसव पर ही देय होंगे। **(अधिसूचना दिनांक 21.09.2015 द्वारा जोडा गया)।**

4. **हितलाभ–** हिताधिकारी महिला श्रमिक के पुत्री जन्म होने पर रूपये 21,000/– (शब्देन इक्कीस हजार) तथा पुत्र जन्म होने पर 20,000/– (शब्देन बीस हजार) रूपये प्रसूति सहायता निर्धारित पात्रता व शर्तों के अनुसार दी जावेगी। जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत नकद लाभ प्राप्त न होने की दशा में रूपये

1,000/– (शब्देन एक हजार) अतिरिक्त सहायता देय होगी। **(अधिसूचना दिनांक 16.11.2015 द्वारा प्रतिस्थापित एवं संशोधन 30.09.2015 से प्रभावी)।**

5. **आवेदन प्रक्रिया एवं हितलाभों का भुगतान–**

5.1 हिताधिकारी महिला श्रमिक द्वारा प्रपत्र "अ" में स्थानीय जिला स्तरीय अधिकारी अथवा मण्डल सचिव द्वारा अधिकृत किये जाने वाले विभाग के अन्य अधिकारी/अन्य विभाग के अधिकारी के कार्यालय में आवेदन भरकर जमा कराया जावेगा। यह आवेदन प्रसूति उपरान्त 90 दिवस की समयावधि में किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त अवधि पश्चात प्रसूति हितलाभ की पात्रता नहीं होगी। आवेदन निम्न दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगाः–

I. हिताधिकारी का आयु संबंधी प्रमाण–पत्र

II. संस्थागत प्रसव होने का प्रमाण–पत्र (अस्पताल का डिस्चार्ज टिकट)

III. जीवित बच्चों की संख्या बाबत घोषणा **(अधिसूचना दिनांक 21.09.2015 द्वारा संशोधित)।**

5.2 स्थानीय श्रम विभाग के स्थानीय/जिला कार्यालयों अथवा मण्डल सचिव द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी के कार्यालय में आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन की जांच तथा सत्यापन किया जाकर अधिकृत अधिकारी द्वारा आवेदन का निस्तारण किया जावेगा तथा नियामानुसार देय सहायता राशि हितग्राही को रेखांकित चैक द्वारा दी जावेगी। **(अधिसूचना दिनांक 21.09.2015 द्वारा संशोधित)।**

5.3 मण्डल कार्यालय में आवेदन प्राप्त होने पर अपेक्षित जांच पड़ताल के बाद सहायता राशि का भुगतान स्थानीय श्रम कार्यालय/मण्डल कार्यालय के माध्यम से रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा हितग्राही को प्रेषित किया जाएगा। **(अधिसूचना दिनांक 21.09.2015 द्वारा विलोपित)।**

5.4 प्रसूति हितलाभ के सम्बन्ध में प्राप्त आवेदनों के भुगतान की स्वीकृति मण्डल के सचिव के अनुमोदन से की जाएगी तथा स्वीकृति के उपरान्त मण्डल कार्यालय/ निर्धारित सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार देय भुगतान हिताग्राहियों को प्रेषित किया जाएगा। **(अधिसूचना दिनांक 21.09.2015 द्वारा विलोपित)।**

6. **विसंगति का निराकरण–** योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है उस स्थिति में मण्डल के अध्यक्ष का इस सम्बन्ध में निर्णय अन्तिम माना जावेगा।

राजस्थान सरकार
श्रम विभाग
भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल राजस्थान

क्रमांकः एफ.18(1)भनिकम/बैठक/6170 जयपुर, दिनांकः 18.8.2021

– : : अधिसूचना : : –

भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 22(1)(जी) तथा राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2009 के नियम 57 एवं नियम 58 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल की अधिसूचना क्रमांक एफ.18(1)क.मं./बैठक/2009/पार्ट–II/786 दिनांक 28.04.2011 द्वारा "प्रसूति सहायता योजना" अधिसूचित की गई थी। इसके तदुपरान्त योजना के प्रावधानों में अधिसूचना दिनांक 21.09.2015, 16.11.2015, 09.09.2016 तथा 14.06.2018 द्वारा संशोधन किये गये। भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल की दिनांक 06.07.2021 को आयोजित 31वीं बैठक में सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के क्रम में उक्त योजना में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:–

प्रस्तावित संशोधन हेतु वर्तमान योजना की बिन्दु संख्या	विद्यमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
बिन्दु संख्या 4	हितलाभ– हिताधिकारी महिला श्रमिक अथवा पुरूष हिताधिकारी की पत्नि के पुत्री जन्म होने पर रूपये 21000/– (शब्देन इक्कीस हजार) तथा पुत्र जन्म होने पर 20000/– (शब्देन बीस हजार) रूपये प्रसूति सहायता निर्धारित पात्रता व शर्तों के अनुसार दी जावेगी। जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत नकद लाभ प्राप्त न होने की दशा में रूपये 1000/– (शब्देन एक हजार) अतिरिक्त सहायता देय होगी।	हितलाभ– हिताधिकारी महिला श्रमिक के पुत्री जन्म होने पर रूपये 21000/– (शब्देन इक्कीस हजार) तथा पुत्र जन्म होने पर 20000/– (शब्देन बीस हजार) रूपये प्रसूति सहायता निर्धारित पात्रता व शर्तों के अनुसार 3 किश्तो में निम्नानुसार देय होगी:– (i) प्रसूति उपरान्त– रूपये 5000/– (शब्देन पॉच हजार) (ii) शिशु की आयु 1 वर्ष पूर्ण होने तथा सम्पूर्ण टीकाकरण प्रमाणित होने पर– रूपये 5000/– (शब्देन पॉच हजार) (iii) शिशु की आयु 5 वर्ष पूर्ण होने तथा प्राथमिक शिक्षा हेतु शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेने पर– रूपये 10,000/– (शब्देन दस हजार) बच्चे हेतु तथा रूपये 11,000/– (शब्देन ग्यारह हजार) बच्ची हेतु देय।

यह संशोधन अधिसूचना जारी होने की तिथि अथवा इसके पश्चात् हुए प्रसवों पर प्रभावी होगा।

उक्त अधिसूचना अध्यक्ष मण्डल की आई.डी संख्या 273 दिनांक 30.07.2021 एवं शासन सचिव के आई.डी. संख्या 1470 दिनांक 29.07.2021 से अनुमोदित है।

अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
संयुक्त सचिव, मण्डल

क्रमांकः एफ.18(1)भनिकम/बैठक/6171-6214 जयपुर, दिनांकः 18.8.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, श्रम नियोजन, कौशल, उद्यमिता एवं तकनीकी प्रशिक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, श्रम आयुक्त, श्रम विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. श्री/श्रीमति/सुश्री .... (समस्त मण्डल सदस्य)।
6. संयुक्त/उप/सहायक/श्रम कल्याण अधिकारी, ... (समस्त)।
7. एसीपी,(मुख्यालय), श्रम विभाग, जयपुर।
8. नोडल अधिकारी, एल.डी.एम.एस., जयपुर।

अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
संयुक्त सचिव, मण्डल

प्रसूति सहायता योजना

महिला श्रमिक के पुत्र होने पर 20 हजार एवं पुत्री होने पर 21 हजार रुपये की सहायता।

प्रसूति सहायता योजना– महिला हिताधिकारी को, जिनकी प्रसव के समय आयु 20 वर्ष से कम न हो, प्रसूति हितालाभ अधिकतम 2 प्रसव हेतु देय है। लड़के का जन्म होने पर रूपयें 20,000/– तथा लड़की का जन्म होने पर रूपये 21,000/– की सहायता राशि देय है। (संबंधितः श्रम विभाग)

प्रसूति सहायता योजना : इस योजना के अन्तर्गत लड़के के जन्म पर ₹20,000 व लड़की के जन्म पर पर ₹21,000 की सहायता दी जाती है।

प्रसूति सहायता योजना के तहत

दावे नहीं
विकास का प्रमाण

महिला श्रमिक को
आर्थिक सहायता राशि की जा रही प्रदान।

₹ 21 हज़ार
पुत्री के जन्म होने पर

₹ 20 हज़ार
पुत्र के जन्म होने पर

/VasundharaRajeOfficial /VasundharaBJP /VasundharaRaje1 www.vasundhararaje.in